

आदेश

निदेशालय के पत्रांक सामान्य/परिपत्र/2019/88 दिनांक 29.09.19 के द्वारा समस्त कार्यालय अध्यक्ष को उसके साथ संलग्न चैक लिस्ट के अनुसार अवकाश, अध्ययन अवकाश, स्थायीकरण, एसीपी आदि संबन्धी प्रकरणों को भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया था जो कि समस्त अराजपत्रित संवर्ग के कार्मिकों के प्रकरणों पर लागू होंगे। अतः भविष्य में अराजपत्रित संवर्ग के समस्त उक्त प्रकरणों को चैक लिस्ट के अनुसार ही निदेशालय को भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।

—sd—

(मुकुल शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन)

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये

राजस्थान जयपुर।

क्रमांक/नर्सिंग/सामान्य/2019/95

दिनांक:- 5/4/19

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1 समस्त प्रधानाचार्य, एवं नियंत्रक, चिकित्सा महाविद्यालय राजस्थान।
- 2 समस्त अधीक्षक, संलग्न चिकित्सालय समूह संघ राजस्थान।
3. समस्त संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें जोन-राजस्थान।
- 4 समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी राजस्थान।
- 5 समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी राजस्थान।
- 6 समस्त खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी राजस्थान।

प्रभारी सर्वर रूम को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करे।

8 आदेश पत्रावली।

(मुकुल शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन)

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये

राजस्थान जयपुर।